International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8
IJSH 2023; 5(2): 59-61
www.sociologyjournal.net
Received: 09-09-2023
Accepted: 15-10-2023

पूजा
शोधकर्त्री, समाज शास्त्र विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखंड, भारत

अलका रानी
अनुसंधान पर्यवेक्षक, समाज शास्त्र विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखंड, भारत

Corresponding Author:
पूजा
शोधकर्त्री, समाज शास्त्र विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखंड, भारत

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण

पूजा, अलका रानी

DOI: https://doi.org/10.33545/26648679.2023.v5.i2a.62

सारांश
"केवल एक थप्पड़, लेकिन नहीं मार सकता" यह वाक्य किसी फिल्म का मात्र एक डायलॉग ही नहीं बल्कि विभिन्न समाजों की बदरंग हकीकत को भी उजागर करता है। घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। इस शब्द को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें पत्नी के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं। पीड़ित के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक शोषण, गाली–गलौज, ताना मारना आदि शामिल हैं।

कूटशब्द : उत्पीड़न शोषण महिलाओं भारतीय समाज

प्रस्तावना
घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित है। घरेलू हिंसा हमारे छद्म सभ्य समाज का प्रतिबिंब है।
सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं, वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिये एक विरासत बनती जा रही है। इस आलेख में घरेलू हिंसा के कारणों, समाज और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा समस्या समाधान के उपाय तलाशने का प्रयास किया जाएगा।

घरेलू हिंसा क्या है?
घरेलू हिंसा अर्थात् कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है।
घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष को अभियोजित कर सकती है अर्थात उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है।

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक
भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) की धारा 498 । के अंतर्गत दर्ज मामले (पति और रिश्तेदारों द्वारा अत्याचार व क्रूरता) के होते हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने सन् 2006 के अंत में 'घरेलू हिंसा निषेध कानून, 2005' को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी की जिससे यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है।''
महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2005 को लोकसभा द्वारा 24 अगस्त, 2005 और राज्यसभा द्वारा 29, अगस्त, 2005 को पारित किया गया। 25 अक्टूबर का दिन देश की महिलाओं के लिए कोई सामान्य दिन नहीं था। वह भारत में वैवाहिक मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन था। ''उस रोज देश के पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। इस कानून के तहत वित्तीय अधिकारों की रक्षा करते हुए पहली बार घर में ''अदृश्य हिंसा''– शारीरिक यातना और गाली गलौज एवं यौन अत्याचार को दूर करने का प्रयास किया गया है।''

प्रारंभ में इस कानून के तहत महिलाओं को पति व बिना विवाह के साथ रह रहे पुरूष और रिश्तेदारों के हाथों हिंसा से बचाने की बात कही गयी थी लेकिन बाद में पति की मां, बहन तथा अन्य महिला रिश्तेदारों को भी इसके दायरे में ले लिया गया। घरेलू हिंसा निवारण कानून एक महत्वपूर्ण कानून है और इसके द्वारा घरेलू हिंसा को प्रभावी तरीके से रोका जा सकेगा।

1. महिला का शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक या यौन शोषण करना या इसकी धमकी देना,
2. महिला को ताने मारना,
3. पुरूष द्वारा घर में महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा जीवन और शरीर को कोई नुकसान या चोट पहुंचाना,
4. महिला को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट देना या ऐसा करने की मंशा रखना,
5. महिला का यौन उत्पीड़न,
6. महिला की गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना,
7. बच्चे न होना या पुत्र न होने पर ताने मारना,
8. महिला को अपमानित करना,
9. महिला की आर्थिक व वित्तीय जरूरतों को पूरा न करना,
10. महिला (पत्नी को) शारीरिक संबंध बनाने या अश्लील चित्र आदि देखने के लिए मजबूर करना,
11. शारीरिक संबंध के दौरान ऐसा कृत्य जिससे पत्नी को चोट पहुंचती हो,
12. दहेज न लाने के लिए प्रताड़ित करना, शादी के बाद पैसे के लिए मांग करना इत्यादि,
13. महिला या बच्चों को पीटना, धक्के मारना, घूंसे मारना इत्यादि,
14. महिला को आत्महत्या की धमकी देना।

इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने को संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध माना जायेगा। दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा या 12 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों सजा साथ–साथ दी जा सकती है। कानून में पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए एक संरक्षण अधिकारी और गैर–सरकारी की नियुक्ति का प्रावधान है ये पीड़ित महिला की मेडिकल जांच, कानूनी सहायता, सुरक्षा व छत मुहैया कराने का काम करेंगे। इन कानून में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बेहद सख्त प्रावधान बनाये गये हैं। लेकिन कानून बना देना ही समस्या का समाधान नहीं है।

कानून के बावजूद महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इस कानून में यह प्रावधान किया जाये कि प्रत्येक जिले में कम–से–कम एक संरक्षण अधिकारी अवश्य नियुक्त किया जाये और कोशिश की जाये कि यह अधिकारी यथासंभव महिला ही हो, और इन अधिकारी द्वारा ग्रामीण और निम्न वर्ग की महिलाओं को इस कानून और इसके प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझाया जाये ताकि वे घरेलू हिंसा निवारण कानून के लाभ को प्राप्त कर सकें और घर में भी सिर उठकर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

घरेलू हिंसा के कारण

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं।

- प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना शामिल है।
- विवाहेत्तर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बाँझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है।

श्रीवास्तव (1988) का कहना है कि हिंसा की सांग्रमिक परिभाषा का अभी तक अभाव है, इसमें महिलाओं के विरोध में सभी प्रकार की हिंसा सम्मिलित है। मुझे लगता है, कि वे सभी स्थितियाँ जिसमें शारीरिक चोट, मौखिक गालियाँ, डराना–धमकाना, फटकार, महिलाओं को छेड़ना, भेद–भाव, उपेक्षा, ये सभी महिलाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है। अतः ये सभी महिलाओं के प्रति हिंसा है। यद्यपि इनमें शारीरिक चोट न हो तो भी वे मनोवैज्ञानिक चोट पहुँचाते हैं और महिला के व्यक्तित्व का विनाश करते हैं।

सिन्हा (1989) ने बताया कि पित सत्तात्मक परिवारों में पुरुषों के पास शक्ति होती है और इसी शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ, पुरुष अपनी पत्नियों के साथ हिंसा करते हैं। पुरुषों को एकाधिकार के रूप में प्राप्त शक्ति ही हिंसा का प्रमुख कारण है।

सिन्हा (1989 इ) ने महिलाओं के उत्पीड़न में कहा है कि शारीरिक उत्पीड़न के साथ–साथ मानसिक उत्पीड़न भी सम्मिलित हैं, जो उत्पीड़न का महत्त्वपूर्ण भाग है।

जैन (2018) ने घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकारः गुना शहर की महिलाओं के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश महिलाएं यह मानती हैं कि अशिक्षित होना और लिंग भेदभाव का होना महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा के लिए प्रमुख कारण है। अधिकांश महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति बहुत कम जानकारी रखती हैं। परिवारों के लड़कों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। उन्हें सभी ऐसे गलत कार्य करने की छूट दी जाती है जो कि नैतिक रूप से गलत होते हैं। जिनका परिणाम हमें हिंसा, बलात्कार जैसे रूपों में देखने को मिलता है।

रॉय एवं अन्य (2015) ने अपने शोध 'क्राइम अगेंस्ट वुमन' का अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है, कि सरकार और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद भी पत्नियों के साथ की जा रही घरेलू हिंसा की मामलों में कमी नहीं आई है और यह समस्या सभी वर्ग, जाति, धर्म और सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति की महिलाओं में देखने को मिलती है।

सिंह एवं विश्नोई (2015) के 'आजमगढ़ जनपद में महिलाओं एवं लड़कियों पर होने वाली घरेलू हिंसा से अभिप्राय आजमगढ़ जनपद के सन्दर्भ में' अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक घरेलू हिंसा का शिकार निम्न साामाजिक–आर्थिक स्थिति की महिलाएं होती हैं। अधिकांश महिलाएं कम शैक्षिक योग्यता को घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण मानती हैं। अतः महिलाओं को उच्च शिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है।

शियाकंड (2017) ने 'क्राइम अगेंस्ट वुमन; प्रोब्लम एण्ड सजेशन : ए केस स्टडी ऑफ इण्डिया' के अध्ययन में समकालीन भारतीय समाज में विशेष रूप से दिल्ली बलात्कार मामले के संदर्भ में महिला के विरुद्ध होने वाले अपराधों की मुख्य व्याख्या की है। शोध निष्कर्ष के रूप में बताया की केन्द्र और राज्य सरकारों के अनेक प्रयासों के बावजूद आज भी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, दहेज हत्या, यौन–उत्पीड़न, लड़कियों को बेचना, छेड़छाड़ आदि अपराधों में कमी नहीं आई हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने के लिए महिलाओं में प्रभावी और कुशल भारतीय पुलिस प्रणाली और सरकार के विधायी उपायों के प्रति जागरुकता पैदा करना सर्वोत्तम उपाय है।

विसेन्ट एवं अन्य (2019) ने 'क्राइम अगेंस्ट वुमन इन इण्डिया अनवैलिंग स्पाटिअल पैटर्न टैम्पोरल ट्रेन्डस ऑफ डाउरी डेथ्स इन द् डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश' के अध्ययन में स्पष्ट किया कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा तथा महिला अधिकारों की जागरुकता को बढ़ावा देने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में पुलिस प्रशासन को सहायता देनी चाहिए।

घरेलू हिंसा के प्रभाव

- यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं।
- घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं।
- घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।

समाधान के उपाय

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकल सकते हैं।
- भारत अभी तक हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि "महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिये हमें पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा।"
- सुधार लाने के लिये सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि "पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने" के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे–पिटे ढर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा।
- सरकार ने महिलाओं घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये यह समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित हैंस
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने वाले परिवारों को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये तंत्र विकसित करने की जरूरत है।
- सरकार ने वन–स्टॉप सेंटर' जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिये चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम व सुनिश्चित करता है।
- महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये वोग इंडिया ने 'लड़के रुलाते नहीं' अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन 'ब्रेकथ्रू' द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ 'बेल बजाओ' अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिये निजी स्तर पर किये गए शानदार प्रयास थे।

संदर्भ

1. अग्रवाल, विनिता (2019). समाजशास्त्र। एस.एस.बी.डी. पब्लिकेशन, आगरा।
2. आहूजा राम. (2010) सामाजिक समस्याएं। रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
3. उषा, तलवार. (1984), सोशल प्रोफाइल ऑफ इण्डियन विमेन । जैन ब्रदर्स, जोधपुर।
4. खण्डेला, मानचन्द (2000), महिला सशक्तिकरण । अरिहन्त पब्लिकेशन हाउस, जयपुर।
5. जैन एवं अन्य (2018). घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकारः गुना शहर की महिलाओं के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन । जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कालर्ली रिसर्चस् इन एलाइड एजुकेशन, वॉल्यूम–105 (03): 166–169।
6. मेनन, एल. (1957), वुमेन इन इण्डिया एण्ड अब्राड तारा अभी बेगसः वुमेन ऑफ इण्डिया। दिल्ली पब्लिकेशन डिवीजन, दिल्ली ।
7. यादव, वीरेन्द्र सिंह (2010) समकालीन परिवेश : विकल्प नीतियाँ और सुझाव । नमन प्रकाशन नई दिल्ली।
8. रॉय, ए0 के0 एवं अन्य (2015). क्राइम अगेंस्ट वुमन । जर्नल ऑफ इवोल्युशन ऑफ मेडिकल एण्ड डेन्टल साइंस, वॉल्युम – 4(39) : 6860।